परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

परिपत्र संख्या–3374एलएएस/10–1288एलएएस/94 दिनांक : अगस्त 19 :2010

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,(इलाहाबाद को छोड़कर)
समस्त सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक विधि अधिकारी
समस्त सहायक क्षे0प्र0(कार्मिक),
प्रधान प्रबन्धक(के0का0/डा0रा0म0लो0कार्य0)
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–याचिका संख्या–1414/1995 परिवहन निगम बनाम ओमप्रकाश मिश्र परिचालक के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णय दिनांकित 08–03–10

प्रस्तुत निर्णय, परिचालक श्री ओमप्रकाश मिश्रा, इलाहाबाद क्षेत्र से संबंधित है, जिनकी सेवाएं 23 यात्री एवं 04 यात्री बिना टिकट बस में ले जाने के आरोप के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर आदेश दिनांक 13–8–90 द्वारा समाप्त कर दी गयी थीं।

उक्त दंण्डादेश के विरूद्व औद्योगिक विवाद मा0 औद्योगिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद के समक्ष उत्पन्न हुआ, जिसकी सुनवाई उपरान्त औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा उक्त दंण्डादेश को कठोर मानते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि में परिवर्तित्त कर दिया गया तथा बैठकी अवधि का 50 प्रतिशत वेतन के साथ परिचालक को सेवा में पुर्नस्थापित किये जाने का एवार्ड दिनांक 30–5–1994 को पारित किया गया।

मा0 औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के विरूद्व निगम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विषयांकित याचिका संस्थित की गयी, जिसमें दिनांक 8–3–10 को मा0 न्यायमूर्ति प्रकाश कृष्णा द्वारा निगम के पक्ष में अति महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया, जिसका सारांश निम्नवत् हैः–

मा0 उच्च न्यायालय ने धारित किया कि परिचालक ने 'पे एण्ड बोर्ड' नियम का पालन नहीं किया और मार्ग पत्र में की गयी प्रविष्टि, सेवा–से पृथक किये गये दंण्डादेश को उचित या अनुचित ठहराये जाने के लिए पर्याप्त हैं। अन्य नजीरो के परिप्रेक्ष्य में यह भी धारित किया कि ऐसा दोषी व्यक्ति परिचालक के पद पर बनाये रखे जाने के योग्य नहीं है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम बनाम घनश्याम शर्मा (2002) 10 एस0सी0सी0–330 में पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण को विभागीय दंण्डादेश की मात्रा में हस्तक्षेप करनें का प्राधिकार न होना इस प्रकरण में पूर्णतः लागू होता है।

इस प्रकार विभागीय याचिका पूर्णतः स्वीकार करते हुए औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा परिचालक के पक्ष में पारित एवार्ड को निरस्त कर दिया तथा परिचालक के विरूद्व सेवा से पृथक आदेश को यथावत रखा।

अतः विभाग के हित में पारित उपरोक्त निर्णय की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जाती है कि न्यायालयों में लम्बित ऐसे प्रकरणों में इसे दृष्टान्त के रूप में प्रयोज्य कर लाभ उठायें।

संलग्नकः–निर्णय की प्रति दो पृष्ठ ।

(शशि शेखर सिंह)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com